RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

ई–मेल : coldstorage@satyam.net.in **वेबसाइट :** http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/– रु0 31 अक्टूबर, 2011 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 8, अंक : 5

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

हमारी पत्रिका आप तक पहुँचते–पहुँचते वर्ष 2011 का भण्डारण सत्र समाप्त हो चुका होगा। फिर भी 20–25 प्रतिशत आलू अभी शीतगृहों में बाकी रहने की सम्भावना बताई जा रही है। आलू के भाव तो इस वक्त काफी नीचे चल रहे हैं परतु फिर भी किसान भण्डारणकर्ता आलू तेजी से निकाल रहे हैं। हमे आशा है कि 20 नवम्बर तक शीतगृह करीब–करीब पूरी तरह से खाली हो जायेंगे। हमें 20–25 नवम्बर तक नई फसल के प्रभावी रूप से बाजारों में आने की कोई सम्भावना नजर नहीं आ रही है। अतः यह प्रायः निश्चित पाया जा रहा है कि आलू तो शीतगृहों से निकल जायेगा और उसे बाहर फिकवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

20–25 नवम्बर तक आलू भण्डारण रहने के कारण शीतगृहों को शीतगृह की मरम्मत व रख–रखाव के लिए समय कम मिल रहा है। अतः शीतगृहस्वामियों को चाहिए कि वह मरम्मत व रख–रखाव का कार्य बहुत तेज गति से पूरा करें और आगामी वर्ष के लिए कोई कमी न रहने दें। शीतगृह कक्षों में बचे हुए आलू की बिनाई पूरी तरह करवाये। 2/4 किलो आलू भी बच जाने पर शीतगृहकक्षों मे चूहे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वह कमरे के इन्सूलेशन को काट कर बहुत

नुकसान पहुचाते हैं। शीतगृह बन्दी के समय शीतगृह कक्षों मे चूहे मार दवाई का प्रयोग अवश्य करें और चूहों को न पनपने दें।

शीतगृह कक्षों के अन्दर लोहे के पाइप, गर्डर या और जो भी लोहे का सामान हो उस पर ताजा रंग–रोगन करवाते रहे अन्यथा बहुत तेजी से जंक या मोर्चा लग जाता है और लोहे को बर्बाद करना शुरू कर देता है।

इसी प्रकार कण्डेन्सर की सफाई और रंग–रोगन कण्डेन्सर टैंक की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे हर साल कराना बहुत जरूरी होता है।

अभी तक आपने कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दे दिया होगा व फीस भी जमा कर दी होगी। अगर 31 अक्टूबर तक नहीं करी है तो लेट फीस के साथ आप जमा कर दें। अन्यथा 31 दिसम्बर के बाद आपका लाइसेन्स नए कोल्ड स्टोरेज के आधार पर माना जायेगा जिससे आपको बहुत परेशानी होगी।

हम कई बार पत्रिका मे चार साल की फीस जमा करके, एक दफा मे ही पाँच साल के लाइसेन्स नवीकरण की बात लिख चुके हैं परन्तु अनेक शीतगृह बार–बार यह सवाल उठाते है कि क्या यह नियम अभी चल रहा है। अनेक जनपदों में जिला उद्यान अधिकारी को भी इस नियम की जानकारी नहीं है और वह यह कह देते हैं कि अब यह नियम खत्म हो गया है और आपको हर साल लाइसेन्स नवीकृत कराना पड़ेगा। परन्तु ऐसी बात नहीं है। आप एक दफा मे चार साल के बराबर फीस जमा करके पाँच साल के लाइसेन्स नवीकरण का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं जिसकी स्वीकृति कानूनी रूप से वैध होगी। फीस के इस ट्रेजरी चालान पर जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता भी नहीं है। इसकी जानकारी भी हम अनेक बार दे चुके हैं। अधिक जानकारी आप हमसे लिखकर पूछ सकते हैं।

कोल्ड स्टोरेज पर नई टेक्नालॉजी के सम्बन्ध में

Central Scientific Instruments Organization (CSIO) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ व Central Potato Research Institute, (CPRI) सेन्ट्रल पोटेटो रिसर्च इन्सटीट्यूट, शिमला के सहयोग से चण्डीगढ़ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिस में देश के विभिन्न भागों के शीतगृहों को आमंत्रित किया गया था। उत्तर प्रदेश व सम्पूर्ण भारत की तरफ से हमें आमंत्रित किया गया था।

मीटिंग को श्री महेन्द्र स्वरूप, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया व कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश सम्बोधित करते हुए।

अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रतिनिधि, वेस्ट बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश व गुजरात से थे। इस मीटिंग में वैज्ञानिकों द्वारा शीतगृह पर की गई खोज के बारे चर्चा हुई। वैज्ञानिकों द्वारा यह देखा गया कि शीतगृहों में अधिक Carbon Di Oxide कार्बन डाई आक्साइड का होना, आर्द्रता (humidity) का कम होना व शीतगृह कक्षों में जगह–जगह तापमान में अन्तर होना, शीतगृह में भण्डारित माल पर विशेष असर डालता है। भण्डारित माल की न सिर्फ गुणवत्ता पर ही फर्क पड़ता है वरन् शीतगृहस्वामियों को मशीने भी अधिक चलानी पड़ती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कम्प्यूटर टेबल पर ही जानकारी उपलब्ध कराने के उपकरण तैयार किए हैं। इसके साथ अतिरिक्त कार्बन डाई आक्साइड निकालने की विधि, आर्द्रता को नियमित करने की विधि व एक ही कक्ष में विभिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न तापमानों के होने के बारे में जानकारी उपल्ब्ध कराई है। इस सम्बन्ध में अभी और शोध बाकी है, विशेषतः इस शोध को आलू के शीतगृहों में जहाँ पर कि बहुत बड़े–बड़े कक्ष होते हैं कैसे लाभदायक बनाया जाए क्योंकि अभी यह कार्य प्रयोगशाला स्तर तक ही सीमित है।

शीतगृहस्वामियों ने यह आशा व्यक्त की कि भविष्य में यदि उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा तो शीतगृहों को काफी लाभ पहुँचेगा। अतः 6 शीतगृहों ने अपने–अपने शीतगृहों को भविष्य में प्रयोग experiment करने के लिए अनुमति दे दी है। जैसे–जैसे प्रयोग सफल होते जायेंगे हम अपने सदस्यों को इसकी सम्पूर्ण जानकारी देते जायेंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय की नई लाइसेंसिंग नीति के सम्बन्ध में :

Ministry of Health and Family Welfare (Food Safety and Standards Authority of India) स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फूड सेफ्टी एण्ड स्टैन्र्ड्डस रेगुलेशन 2011 लागू किये हैं। इन नियमों के अन्तर्गत इस मंत्रालय के अधिकारी शीतगृहों पर लाइसेन्स लेने का दबाव बना रहे हैं। हमने फूड सेफ्टी एण्ड स्टैन्र्ड्डस रेगुलेशन 2011 का अध्ययन किया है। इसके अनुसार शीतगृह इसके अन्र्तगत नहीं आते। आप इसके और अध्ययन के लिए वेब साइट http://www.fssai.gov.in/ पर जाकर विस्तार से पूरा गजट Notification पढ़ सकते है। हमारे अध्ययन के अनुसार Regulation Schedule 1 See Regulation 2.1.2 (3) पेज 71 के अनुसार शीतगृह इस Regulation के अन्तर्गत नहीं आते है। Schedule 1 आपकी जानकारी के लिए नीचे दिया हुआ है।

List of food business falling under the purview of Central Licencing Authority :

I. Dairy units including milk chilling units equipped to handle or process more than 50,000 litres of liquid milk/day or 2500 MT of milk solid per annum.

II. Vegetable oil processing units and units producing vegetable oil by the process of solvent extraction and refineries including oil expeller unit having installed capacity more than 2 MT per day.

III. All slaughter houses equipped to slaughter more than 50 large animals or 150 or more small animals including sheep and goats or 1000 or more poultry birds per day.

IV. Meat processing units equipped to handle or process more than 500 kg of meat per day or 150 MT per annum.

V. All food processing units other than mentioned under (I) to (IV) including relabellers and repackers having installed capacity more than 2 MT/ per day except grains, cereals and pulses milling units.

VI. 100% Export Oriented Units.

VII. All Importers importing food items including food ingredients additives for commercial use

VIII. All food business operators manufacturing any article of food containing ingredients or substances or using technologies or processes or combination thereof whose safety has not been established through these regulations or which do not have a history of safe use or food containing ingredients which are being introduced for the first time into the country.

IX. Food Business Operator operating in two or more States.

X. Food catering services in establishments and units under Central Government Agencies like Railways, Air and Airport, Seaport, Defence etc.

न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में :

न्यूनतम देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता इस प्रकार होगा, जिसमें अधिसूचना में शीतगृह भी आते हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 से आवर्त 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं. 401/36–3–06–7 (न्यू. वे.)/04 दिनांक 24.02.2006 से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम न होगी। उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 522 अंकों के ऊपर जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के औसत 836 (आठ सौ छत्तीस मात्र) पर दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 30.09.2011 तथा जनवरी 2011 से जून 2011 के औसत 864 (आठ सौ चौसठ मात्र) पर दिनांक 01.10.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय है :–

दृष्टांत : रुपये 2600.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों की औसत मूल्य सूचकांक 864 पर दिनांक 01.10.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :–

$$\frac{(864-522)}{522} \times 2600 = \text{रु. } 1703.45 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत हैं :–

क्र.	श्रेणी	प्रतिमाह मजदूरी रु. में	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रुपये में	
			दि. 01.04.2011 से दि. 30.09.2011 तक	दि. 01.10.2011 से दि. 31.03.2012 तक
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अकुशल	2600.00	1563.98	1703.45
2	अर्द्ध कुशल	2694.00	1782.94	1941.93
3	कुशल	3290.00	1979.04	2155.52

नियोजनों के नाम :–

37. बर्फ विनिर्माणशाला

43. कोल्ड स्टोरेज

(विनोद शंकर मिश्र)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश

बिकाऊ है

- **2 No. Diffuser Frick USA 3 Fan each 7.5 Electric Motor each**
- **920 नग बरगे साल लकड़ी 6′×4′′×3′′**
- **फन्टी साल लकड़ी 4′×2′′×1.1/2′′ (60′×40′×30′×4) chamber**
- **7×7 Ammonia Compressor with 60 HP 1440 RPM slip ring motor Heavy duty make Kirloskar with starter MEI**
- **5×5 Ammonia Compressor with 25 HP 1450 RPM Slip ring Motor with Starter MEI**
- **Receiver Tank for Ammonia Gas 1 No.**

उपरोक्त मशीनरी सामान तुरन्त चालू हालत में बिक्री हेतु बिल से +VAT% के साथ उपलब्ध भी है।

सम्पर्क करें

श्री प्रदीप सिंघल, कार्यकारी निदेशक

रामा एग्रो एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड

सूत मिल, दिल्ली रोड, अलीगढ़–202001 (उ0प्र0)। मोबाइल : 9837040356, 9837028112

आलू भण्डारण की समयावधि के सम्बन्ध में :

प्रमुख सचिव, उद्यान ने हमें निम्न पत्र भेजा है, जिसे हम अपने सदस्यो को अनुपालन करने के लिए यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं।

संख्या–3224 / 58–2011–100(2) / 2011

प्रेषक,

मुकुल सिंहल, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

उद्यान अनुभाग — लखनऊ : दिनांक : 11 अक्टूबर, 2011

विषय : प्रदेश के निजी शीतगृहों में आलू के भण्डारण की अविध का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश के निजी शीतगृहों में फरवरी माह के तृतीय सप्ताह से किसानों के आलू का भण्डारण सामान्यतः प्रारम्भ हो जाता है। वर्तमान में निजी शीतगृह स्वामी शीतगृहों में आलू भण्डारण की अवधि 15 फरवरी से 31 अक्टूबर तक ही निर्धारित करते है जबकि शीतगृहों से आलू की निकासी प्रायः नवम्बर माह के अन्त तक होती रहती है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीतगृहों में आलू भण्डारण अवधि को 15 फरवरी से 30 नवम्बर तक किया जाय, ताकि किसानों को शीतगृहों से भण्डारित आलू की निकासी हेतु पर्याप्त अवसर मिल सके।

कृपया इन निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

ह0 / –

(मुकुल सिंहल)

प्रमुख सचिव

संख्या–3224(1)/58–2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, लखनऊ।
3. समस्त उपनिदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0/–

(अश्वनी कुमार श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव

इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि आप अपने शीतगृह को यदि आलू शेष रह जाता है तो 30 नवम्बर तक अवश्य चलाए। हमारी राय में यदि आपने अपनी पहुँच रसीद पर समय सीमा 31.10.2011 दर्ज की है तो नवम्बर माह के अतिरिक्त भण्डारण के लिए आप अतिरिक्त चार्ज ले सकते हैं, परन्तु इस वर्ष आलू की दशा देखते हुए अतिरिक्त चार्ज ना लेना ही उचित रहेगा।

. . . पिछले अंक का शेष

11. (क) वर्तमान प्रभावी दर सूचियों के अनुसार औद्योगिक श्रेणी (HV-2 & LMV-6) के उपभोक्ताओं की बिलिंग KVAh पर की जा रही है। समस्त उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अपने पावर फैक्टर को यूनिटी के आस–पास रखें क्योंकि पावर फैक्टर जितना कम होगा KVAh की रीडिंग उतनी ही ज्यादा होगी और इसके कारण उपभोक्ताओं को ज्यादा विद्युत मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए –

    यदि किसी माह उपभोक्ता की रीडिंग 1000 KWH है।

    तथा यदि पावर फैक्टर 0.99 है तो उस माह का KVAh = 1000/0.99 = 1010 unit (1% अधिक)

    तथा यदि पावर फैक्टर 0.90 है तो उस माह का KVAh = 1000/0.90 = 1111 unit (11% अधिक)

तथा यदि पावर फैक्टर 0.85 है तो उस माह का KVAh = 1000 / 0.85 = 1176 unit (17% अधिक)

यदि पावर फैक्टर 0.75 है तो उस माह का KVAh = 1000 / 0.75 = 1335 unit (33% अधिक)

उपरोक्त उदाहरण से स्वतः स्पष्ट है कि पावर फैक्टर कम होने की दशा में की रीडिंग बढ़ती जाती है तथा उसी अनुपात में बिल की धनराशि भी बढ़ती जाती है।

(ख) उपभोक्ताओं को यह सलाह दी जाती है हमेशा आनलाइन कैपीसटर का प्रयोग करें क्योंकि आन लाइन कैपीसटर के प्रयोग से यह फायदा है कि यदि कम भार का प्रयोग किया जा रहा है तो उसी क्षमता का कैपीसटर कार्य करेगा तथा पावर फैक्टर नियंत्रित रहेगा।

(ग) यदि किसी उपभोक्ता की इकाई का पावर फैक्टर 0.75 या कम आता है तो विभाग आपका संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है एवं दण्डात्मक शुल्क भी वसूल किया जा सकता है।

(घ) वर्तमान टैरिफ के अनुसार विभाग टी.ओ.डी. मीटर वाले उपभोक्ताओं से लो पावर फैक्टर सरचार्ज नहीं वसूल करेगा परन्तु यदि पावर फैक्टर 0.75 से कम है तो यह नियम लागू नहीं होगा।

12. अधिक ऊर्जा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को टैरिफ में मासिक लोड फैक्टर रिबेट की सुविधा प्रदान की गयी है। मासिक लोड फैक्टर रिबेट में मासिक का तात्पर्य किसी माह में 1 तारीख से 30 तारीख तक कितनी खपत व उस माह में कितनी डिमान्ड दर्ज हुई है से है लोड फैक्टर रिबेट की गणना इसी आधार पर कर छूट दिये जाने का प्राविधान है परन्तु विभाग द्वारा यह लोड फैक्टर रिबेट रीडिंग अवधि के अनुसार खपत ऊर्जा एवं अंकित डिमान्ड के आधार पर गणना करके दी जाती है। यह नियमानुसार गलत है क्योंकि किसी भी वित्तीय वर्ष में अप्रैल से मार्च माह के बिलों में ली गयी रीडिंग के दिनों की गणना की जाये तो वह 365 दिनों से या तो कम होगी या ज्यादा होगी, जोकि विद्युत सूची के (टैरिफ) प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

13. HV-2 श्रेणी के वे उपभोक्ता जिनकी विद्युत आपूर्ति 11 / 0.4 के.वी. ट्रान्सफार्मर से की जा रही, तथा विभाग द्वारा बिलिंग मीटर के स्थान पर LT मीटर के द्वारा की जा रही है, इस स्थिति में विभाग द्वारा प्रत्येक माह बिल में 15% वोल्टेज सरचार्ज लगाकर भुगतान लिया जा रहा है। परन्तु वितरण संहिता 2005 के एवम् आयोग के आदेशों के अनुसार उपरोक्त स्थिति में विभाग ऐसे उपभोक्ताओं से डिमान्ड में 2% एवं खपत में 3% अधिक जोड़कर भुगतान लेगा।

14. विद्युत दर सूची (टैरिफ) के अनुसार विद्युत कर (Electricity duty) की गणना, जो कि 09 पैसे प्रति यूनिट है, KWh की रीडिंग के आधार पर की जायेगी परन्तु कई बार देखने में आया है कि विभाग द्वारा विद्युत कर की गणना KWh के स्थान पर KVAh कर दी जाती है जोकि गलत है।

15. **<u>विलम्ब अधिभार :</u>** विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंगीकृत किये गए विभिन्न दर सूचियों (टैरिफ) में विलम्ब अधिभार हेतु प्राविधान है कि :–

(i) यदि उपभोक्ता किसी माह समय पर विद्युत बीजक में दर्शायी गयी धनराशि का भुगतान नहीं करता है अथवा कम करता है तो ऐसी स्थिति में विभाग पहले 1.25% के अनुसार विलम्ब अधिभार अगले तीन महीनों तक वसूल करेगा, यदि तीन माह में भुगतान नहीं होता है तो इसके बाद 1.5% के अनुसार उपरोक्त बकाया धनराशि पर विलम्ब अधिभार वसूल करेगा।

(ii) सामान्यतः विभाग 1.5% दर से विलम्ब अधिभार किसी माह की बकाया धनराशि पर वसूल करता है तथा अगले माह इस धनराशि को मूल धनराशि में जोड़कर पुनः 1.5% की दर से विलम्ब अधिभार वसूल करता है जो कि गलत है क्योंकि :–

(क) दण्ड पर दण्ड नहीं लगाया जा सकता।

(ख) दण्ड बकाया अवधि के लिए होता है अर्थात हमने जितनी अवधि के लिए विभाग की धनराशि का उपयोग किया है उसी अवधि के लिए विभाग हमसे विलम्ब अधिभार ले सकता है।

(ग) विभाग cumulative interest (चक्रवृद्धि ब्याज) लेने का हकदार नहीं है।

(iii) यदि उपभोक्ता विलम्ब अधिभार की गणना करे तो यह 18% वार्षिक ब्याज बनता है जबकि किसी भी सरकारी बैंक से जो ऋण लिया जाता है उस पर उपभोक्ता अधिकतम 15% वार्षिक ब्याज का भुगतान करता है। तथा विलम्ब अधिभार की वजह से बकाया धनराशि बढ़ती जाती है तथा ऐसे उपभोक्ता लोड फैक्टर Rebate एवं अन्य कई छूट पाने का हक खो देते है।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि यदि उपभोक्ता प्रत्येक माह समय पर विद्युत बीजक में दर्शायी गयी धनराशि का भुगतान कर दे तो उसे कम से कम 3% ब्याज का फायदा होगा तथा जो छूट प्राप्त होनी है वह उसको मिल सकेगी।

(iv) विद्युत वितरण संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि उपभोक्ता द्वारा जो भी धनराशि का भुगतान किया जाता है उस धनराशि का समायोजन निम्नवत् होगा :–

(क) पिछले माह की बकाया धनराशि

(ख) वर्तमान माह के बीजक की धनराशि

(ग) अन्य देय

अर्थात् यदि उपरोक्त दोनों पैरा का विश्लेषण करे तो उसको कभी भी 1.25% से ज्यादा विलम्ब अधिभार का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

. . . शेष अगले अंक में

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Swapan Kumar Mondal** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

गुजरात : श्री भरत खूबचन्दानी, मालिक, गणेश कोल्ड स्टोरेज कम्पनी, जामनगर, संयुक्त सचिव, गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने सूचित किया है कि दिनांक 20 अक्टूबर तक शीतगृहों में 37 प्रतिशत आलू बाकी बचा है। आलू के भाव 400 से 600 रु प्रति कुन्तल चल रहे हैं। अभी बीज आलू का भाव नहीं खुला है। आलू के भाव में कम होने की प्रवृत्ति चल रही है और आपको भविष्य में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। आप चाहते है कि फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया को सरकार से आलू के लिए सब्सिडी की माँग करनी चाहिए। यहाँ पर हम यह बताना चाहेंगे कि आलू के लिए सब्सीडी की माँग शीतगृह नहीं कर सकते यह तो आलू उत्पादक किसान ही कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल : गोबिन्दो कोल्ड स्टोरेज, कोलकाता के मालिक श्री गोबिन्द कजरिया जी ने हमें सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल से करीब 60 प्रतिशत आलू निकाला जा चुका है। यह एक अच्छी निशानी है क्योकि सामान्यतः इसी गति से पश्चिम बंगाल में विगत वर्षो में आलू निकलता रहा है। यहाँ हम यह बताना चाहेंगे कि बंगाल के शीतगृह में आलू का सीजन दिसम्बर माह में भी रहता है जबकि उत्तर प्रदेश में यह मध्य नवम्बर तक समाप्त हो जाता है।

उड़ीसा : श्री श्याम पंसारी, अध्यक्ष, उड़ीसा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने सूचित किया है कि 12 अक्टूबर तक उड़ीसा के शीतगृहों में कुल 25 प्रतिशत आलू रह गया है जिसमें दस प्रतिशत बीज आलू है लेकिन अब तक शायद कुल आलू 10 से 15 प्रतिशत के बीच में ही रह गया होगा। आलू का भाव 580 रू से 600 रू चल रहे थे लेकिन बिकवाली अधिक होने से रेट नीचे जाने की आशा बन गई थी। आपको उत्तर प्रदेश के आलू का 15 नवम्बर के बाद ही आने की आशा है और पश्चिम बंगाल का आलू दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में आयेगा।

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश से श्री बी.एल. जाजू, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने सूचित किया है कि चिप ग्रेड का आलू मध्य प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज से पूर्णतया निकाला जा चुका

. . . शेष पृष्ठ 20 पर

पृष्ठ 16 का शेष . . .

है। खाने वाला आलू व बीज का आलू 20 से 30 प्रतिशत बाकी बचा है। पजांब सीड ग्रेड 1000 से 1100 रूपए प्रति कुन्तल का भाव चल रहा है। खाने वाले ज्योति 500 से 550 रूपए प्रति कुन्तल चल रहा है। आलू की बुआई चालू हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश : श्री मोहित अग्रवाल, शिवांग कोल्ड स्टोरेज, सासनी, हाथरस से सूचित किया है कि 20 अक्टूबर तक शीतगृहों में 25 से 30 प्रतिशत आलू शेष बचा है। इस समय आलू का भाव 300 से 400 रूपए कुन्तल के बीच चल रहे है। आपको आशा है कि शीतगृहों में नवम्बर माह में 10 से 15 प्रतिशत आलू शेष रह जायेगा।

अभी आलू के रेट नीचे की ओर ही है और आशा है कि पूरे अक्टूबर माह में इसमें कोई सुधार नहीं होगा क्योंकि इस वक्त किसान भण्डारणकर्ता अपने आलू को तुरन्त बेच कर खेती के काम में लगना चाह रहा है। वह शीतगृह आने–जाने के झंझट से बचने के कारण आलू के रेट उठने का इन्तजार करने को तैयार नहीं है। उधर शीतगृहस्वामी भी भण्डारणकर्ताओं पर 31 अक्टूबर तक शीतगृह खाली करने का दबाव बना रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि भण्डारित आलू पूरी तरह से शीतगृह से बगैर किसी परेशानी के निकल जायेगा और हो सकता है कि 5/6 नवम्बर के बाद आलू में कुछ तेजी आ जाए लेकिन शीतगृहस्वामियों को भूल कर भी तेजी का इन्तजार नहीं करना चाहिए। नई फसल के बाजार में प्रभावी रूप से आने की आशा 25 नवम्बर के आस–पास की जा रही है।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित